

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 32/2021

तारीख दायर : 9/12/2021

अनवान

01. नर्बदा पुत्री खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.
02. मांगीबाई पत्नि खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज
03. सुनिल पुत्र खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज

प्रार्थी

बनाम

01. देवीलाल पुत्र दोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज
02. नन्दलाल पुत्र भूरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज.


विपक्षीयगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 9/12/2021

प्रार्थना पत्र नर्बदा पुत्री खाना, मांगीबाई पत्नि खाना, सुनिल पुत्र खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा राज ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलिया कलां पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 675 पर अंकित आराजी सं. 1790/1452 रकबा 0.9308 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीयगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान  में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलिया कलां पटवार हल्का बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 675 पर अंकित आराजी सं. 1790/1452 रकबा 0.9308 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा विवादों के लिए)
उपखण्ड अधिकारी-2021
(बिजौलिया, भीलवाड़ा)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)